Vol. 7, Issue 5, Feb 2018 ISSN 2249-894X

REVIEW OF RESEARCH

An International Multidisciplinary Peer Reviewed & Refereed Journal

Impact Factor: 5.2331

UGC Approved Journal No. 48514

Chief Editors
Dr. Ashok Yakkaldevi
Ecaterina Patrascu
Kamani Perera

Associate Editors
Dr. T. Manichander
Sanjeev Kumar Mishra

REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

''भारत में महिला विवाह आयु का एक ऐतिहासिक विश्लेषण''

डॉ. योगेन्द्र तिवारी
प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, मां भवानी पी. जी. कालेज, चन्दौली (उ.प्र.)।

सारांश

विश्व के प्रत्येक देशों में अपनी–अपनी, सामाजिक व्यवस्था रीति–रिवाज प्रचलित है। इन समस्त व्यवस्थाओं के संचालन में परिवार एवं समाज की मुख्य भूमिका होती है। परिवार के विकास में विवाह एक महत्वपूर्ण घटक है। विवाह के द्वारा महिला एवं पुरुष एक सूत्र में बँधकर यौन संतुष्टि के साथ–साथ वंश परम्परा को संचालित करने में योगदान देते है। विवाह में आयु का विशेष महत्व होता है। महिला एवं पुरुषों के उम्र से सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय घटकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विभिन्न धर्म के अनुसार महिला विवाह आयु का निर्धारण भिन्न–भिन्न किया गया है। कहीं कन्याओं का विवाह अल्पायु में होने का वर्णन मिलता हैं। इस शोध पत्र में भारत में महिला विवाह आयु का एक ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया हैं।

संकेताक्षर – विवाह, परिवार, जनांकिकीय, प्रथा, मेहर, ब्रह्मचर्य।

विवाह मानव समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है और उसी से परिवार का आरम्भ होता है। विवाह प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम समाज हो या सभ्य समाज के संस्कृति का एक आवश्यक अंग होता है, क्योंकि यह वह साधन है, जिसके आधार पर समाज की प्रारम्भिक इकाई परिवार का निर्माण होता है। इसलिए विवाह अण्डमान प्रायद्वीय या आस्ट्रेलिया की जनजातियों में जितना लोकप्रिय है, उतना ही न्यूयार्क के निवासियों में भी।

बोगार्ड्स के शब्दों में– ''विवाह स्त्री और पुरूष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है।''

वेस्टरमार्क के अनुसार– ''विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा हुए सम्भावित बच्चों के बीच में एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का समावेश होता है।''

संक्षेप में विवाह समाज में मान्यता प्राप्त किसी प्रथा या नियम के तरत दो या अधिक स्त्री–पुरूषों के यौन सम्बन्धों को नियमित करने की वह संस्था है जिसका उद्देश्य घर बसाना है तथा बच्चों के लालन–पालन के लिए एक स्थानीय आधार प्रदान करता है।

हिन्दू धर्म में विवाह :

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और उसका आधार अनेक रूपों में धर्म है। इसी कारण हिन्दुओं की सामान्य से सामान्य क्रियाओं में भी धर्म का सम्बन्ध माना गया है। कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज से मान्यता प्राप्त दो स्त्री–पुरूषों का विधिवत मिलन ही हिन्दू विवाह है, जिसका उद्देश्य

धर्म कार्य, पुत्र प्राप्ति और रति प्रयोजन को पूरा करना है। हिन्दू विवाह को सामान्यतः एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है। डॉ0 के0एम0 कपाडिया[2] ने अपनी पुस्तक ''मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया'' में लिखा है कि ''हिन्दुओं में विवाह प्राथमिक रूप से कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है इसलिए विवाह का आधारभूत उद्देश्य धर्म था।'' मनु[3] ने 'मनुस्मृति' में लिखा है कि माँ बनने के लिए ही स्त्रियों की उत्पत्ति हुई एवं पिता बनने के लिए ही पुरुषों की इसलिए वे आदेश देते हैं कि पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक कार्य सम्पन्न करने चाहिए। के0एम0 कपाड़िया[4] ने लिखा है कि हिन्दू विवाह एक संस्कार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दू विवाह का धार्मिक महत्व के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक एवं विशेषकर जनांकिकीय महत्व विशेष रूप से है।

हिन्दू विवाह के स्वरूप :

हिन्दू विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य वैवाहिक सम्बन्ध में बँधने की प्रद्धति से है। अनेक स्मृतिकारों, गृहसूत्रों, धर्मसूत्रों, आदि में हिन्दू विवाहों के आठ स्वरूपों की विवेचना की गई है। मनु ने जिन आठ स्वरूपों की व्याख्या की है, ये अधिक महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित है–

1– ब्राह्म विवाह 2– देव विवाह 3– आर्ष विवाह 4– प्रजापत्य विवाह 5– असुर विवाह 6– गान्धर्व विवाह 7– राक्षस विवाह 8– पैशाच विवाह

प्रथम चार स्वरूप श्रेष्ठ एवं धर्मानुकूल बताया गया है, जबकि अन्तिम चार विवाह के स्वरूप निम्न एवं धर्म के प्रतिकूल माना गया है। हिन्दू विवाह के जिन प्रकारों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे रीति पर आधारित है। विवाह के सार्वभौमिक प्रकार भी होते हैं जो पति तथा पत्नी की संख्या पर आधारित है। संख्या के आधार पर विवाह के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं–

1. एक विवाह– सामान्यतया एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे से विवाह न करना ही एक विवाह है।
2. बहु विवाह – इसके अन्तर्गत एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह एक ही समय में करता है। इसके अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार के विवाह आते हैं– क. बहुपत्नी विवाह ख. बहु पति विवाह ग. द्विपत्नी विवाह
3. समूह विवाह–जब लड़को के एक समूह का विवाह लड़कियों के किसी एक समूह से होता है और उसमें सब परस्पर एक–दूसरे के पति–पत्नी होते हैं, जिसे समूह विवाह कहते हैं।

हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार एक विवाह ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और आज का कानून एक विवाह की ही व्यवस्था करता है।

वैदिक युग में विवाह :

पूर्व वैदिक युग में विवाह साधारणतया सामाजिक और धार्मिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक माना गया।ऋग्वेद के अनुसार विवाह का उद्देश्य था– ''गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना।''[5] अवेस्ता के अनुसार भी कुमार एवं कुमारी द्वारा दिये गये उपहार देवों और पूर्वजों को स्वीकार नहीं होता, कुमार एवं कुमारी की अवस्था विवाहित अवस्था से हीन है। वैदिक साहित्य में भी उल्लेख मिलता है कि अविवाहित व्यक्ति अपवित्र है।

उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के विकास के कारण विवाह का महत्व बढ़ गया। 'शतपथ ब्राह्मण'[6] के अनुसार पत्नी–पति की अर्धांगिनी है। अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता, जब तक सन्तोनोत्पत्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। ऐतरेय ब्राह्मण[7] में स्त्री को 'जाया' कहा गया है।

मुस्लिम विवाह :

मुसलमानों के विवाह को निकाह कहा जाता है। मुस्लिम विवाह 'शर्तहीन दीवानी संविदा' (अनकन्डीशनल सिविल काट्रेक्ट) है, जिसके द्वारा स्त्री पुरुष में लैंगिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं और जिसका उद्देश्य सन्तान उत्पत्ति तथा बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। मुल्ला के अनुसार–''निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन करना और उनको वैध घोषित करना है।''

VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

हेदया ने लिखा है कि 'मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन सम्बन्धों एवं बच्चों के जन्म को वैध रूप प्रदान करना है तथा समाज के हित में पति–पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है।''

के0एम0 कपाड़िया[8] ने लिखा कि इस्लाम में एक अनुबंध (कान्ट्रैक्ट) है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते है। इस अनुबन्ध का प्रतिफल 'मेहर' अर्थात् वधू को भेट दी जाती है। अमीर अली ने लिखा है कि 'मुस्लिम विवाह एक कानूनी समझौता है जिसके लिए न तो किसी पुरोहित (मुल्ला) की आवश्यकता है और न किसी धर्म काण्ड की। मुस्लिम विवाह में हिन्दू विवाह की भाँति कोई धार्मिक संस्कार या पति–पत्नी का अटूट सम्बन्ध नहीं है। यह एक विशिष्ट समझौता है, जिसमें ये सब बातें सम्मिलित है जो 'भारतीय समझौता अधिनियम' के अनुसार किसी वैध समझौते में होने चाहिए।

ईसाई विवाह

प्रारम्भ में ईसाई धर्म में विवाह के प्रति विरोधी दृष्टिकोण था। अविवाहित रखकर जीवन व्यतीत करने पर बल दिया जाता था। अविवाहित व्यभिचार से बचने के लिए विवाह का विकल्प रखा गया। डॉ0 शर्मा ने 'भारतीय समाज एवं संस्कृति में लिखा है कि इसाई धर्म में नैतिकता पर प्रारम्भ से ही इतना अधिक जोर दिया गया है कि यौन सम्बन्ध को किसी रूप में भी स्थापित करना उत्तम जीवन के लिए गलत समझा गया। अविवाहित रहना धार्मिक दृष्टिकोण से जीवन का परम लक्ष्य माना गया। विवाह केवल ऐसी स्थिति में ही करना उचित समझा गया। जबकि कोई व्यक्ति अपनी यौन प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता।

ईसाई धर्म में 'प्रोटेस्टेण्ट' शाखा का विकास होने पर विवाह सम्बन्धी इस धारणा में परिवर्तन हुआ। अब यह माना जाने लगा है कि विवाह और लिंग सम्बन्ध ईश्वर की इच्छा पर आधारित है तथा इनमें कोई पाप नहीं होता। ईसाई सामाजिक व्यवस्था में विवाह के परम्परागत प्रतिमान से आधुनिक प्रतिमान अलग है। आधुनिक समय में ईसाई समाज में विवाह को पवित्र माना गया है। आधुनिक समय में ईसाई विवाह ईश्वर की इच्छा से घर बसाने, व्यभिचार से बचने, सन्तानों को जन्म देने तथा उनका लालन–पालन करने व पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग को बनाये रहने के लिए किया गया एक समझौता है। इस समझौते को वैयक्तिक सामाजिक, आर्थिक प्रगति के लिए पालन करना अनिवार्य है। ईसाई विवाह को पारिभाषित करते हुए उत्तरी भारत के संयुक्त चर्च के संविधान में लिखा है कि ''विवाह समाज में एक पुरुष और एक स्त्री के बीच एक ऐसा समझौता है जो सामान्य रूप से जीवन भर चलता रहता है और उसका सम्बन्ध यौन संतुष्टि, पारस्परिक संसर्ग और परिवार की स्थापना से है।''

उपरोक्त लिखित सभी धर्मो के विवाह के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह सभी धर्मो को मानने वालों के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा सन्तानोत्पत्ति के साथ–साथ, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी पक्षों के विकास में बल मिलता है।

महिला विवाह आयु :

विश्व के प्रत्येक देशों में अपनी–अपनी, सामाजिक व्यवस्था रीति–रिवाज प्रचलित है। इन समस्त व्यवस्थाओं के संचालन में परिवार एवं समाज की मुख्य भूमिका होती है। परिवार के विकास में विवाह एक महत्वपूर्ण घटक है। विवाह के द्वारा महिला एवं पुरुष एक सूत्र में बँधकर यौनसंतुष्टि के साथ–साथ वंश परम्परा को संचालित करने में योगदान देते है। विवाह में आयु का विशेष महत्व होता है। महिला एवं पुरुषों के उम्र से सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकिकीय घटकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विभिन्न धर्म के अनुसार महिला विवाह आयु का निर्धारण भिन्न–भिन्न किया गया है। कहीं कन्याओं का विवाह अल्पायु में होने का वर्णन मिलता है, मनु[9] ने '30 वर्ष के पुरुष के लिए 12 वर्ष की कन्या का विवाह तथा 24 वर्ष के पुरुष के लिए 8 वर्ष को कन्या का विवाह निश्चित किया है। मौर्य काल[10] में भी 12 वर्ष की स्त्री, कानूनी अधिकार पाने वाली बालिग मानी जाती थी और 16 वर्ष का पुरुष बालिग माना जाता था।

डॉ. जायसवाल[11] के अनुसार कौटिल्य की विवाह व्यवस्थाओं में जनसंख्या बढ़ाने की नीति दिखायी पड़ती है। कौटिल्य ने उसी नीति से स्त्री–पुरुष के विवाह की आयु घटाई जो पहले अधिक थी।

आजकल भारत में सभी शिक्षित व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि वे विवाह का प्रमुख उद्देश्य अपना सुखी व्यक्तिगत जीवन बनाना ही मानते हैं। परिवारिक व सामाजिक कर्त्तव्यों को निभाने के स्थान पर अपना व्यक्तिगत जीवन सम्पन्न, बनाना, विवाह का सर्वोपरी उद्देश्य बनता जा रहा है। यौन सन्तुष्टि विवाह का अभी भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बना हुआ है। यद्यपि कुछ उच्च वर्ग व माध्यम वर्ग पर के पुरुषों एवं स्त्रियों में विवाह के बिना भी इसे

प्राप्त करने की प्रवृत्ति देखने में आ रही हैं। नगरों में कन्याओं की विवाह आयु बढ़ने लगी है। माता–पिता लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाने में रूचि लेने लगे हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेने पर ही उनका विवाह करना उचित मान रहे हैं। पढ़ी–लिखी लड़कियां सुयोग्य वर चाहती है। लेकिन यह बात सम्पूर्ण भारतीय समाज पर लागू नहीं हो सकता। वास्तविकता तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में बाल–विवाह बहुत जोरों से प्रचलित है। समस्त भारत में लगभग आधे से अधिक विवाह अभी तक कम उम्र में ही हो रहे हैं।

शारदा विवाह अधिनियम जो बल–विवाहों को रोकने के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था तथा अब तक चल रहा है। लेकिन बाल विवाह रोकने में असमर्थ रहा है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार हिन्दू वर के लिए विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़कार 21 वर्ष तथा महिला विवाह आयु 12–13 वर्ष से बढ़ाकार 16 वर्ष की गयी थी। किन्तु अब देशभर में विवाह की वर आयु 21 वर्ष और वधू के लिए 18 वर्ष निश्चित की गयी है।

उपरोक्त निश्चित आयु से अधिक सन्तानोत्पत्ति में कमी आयेगी तथा स्त्रियों का स्वास्थ्य सुधरेगा। सामाजिक व सांस्कृतिक दशायें ऊँची उठेगी। जहाँ तक हिन्दुओं में विवाह सम्बन्धी विधान का प्रश्न है। 1955 में ही हिन्दू विवाह अधिनिमय पारित किया गया, जिसके द्वारा हिन्दू विवाह से सम्बन्धित अन्य सभी अधिनियम पारित किया गया। केवल विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में ही हिन्दू विवाह अधियियम पारित किया गया। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में यह व्यवस्था की गई है कि पुरुष वर्ग में 21 से कम आयु होने पर जरूरी है कि माता–पिता या अन्य संरक्षक की अनुमति हो तथा कन्या पक्ष की आयु सीमा 18 वर्ष रखी गयी। ऐसे विवाह की रजिस्ट्री करना भी जरूरी है।

मुसलमानों में महिला विवाह की आयु :

मुस्लिम विवाह का यह एक अनिवार्य तत्व है कि दोनों पक्ष विवाह संविदा करने की क्षमता रखते हों अर्थात् वे बालिग हों व स्वस्थ मस्तिष्क के हों। विवाह के लिए बालिग आयु कानून के अनुसार 15 वर्ष है। परन्तु शिया कानून किसी निश्चित आयु की व्यवस्था नहीं करता है। जब लड़का–लड़की युवावस्था प्राप्त कर लें तभी वे बालिग और विवाह योग्य हो जाते हैं नावालिग लड़के–लड़की भी विवाह संविदा में बॅध सकते हैं परन्तु ऐसा विवाह संरक्षक द्वारा किया गया हो।

वैदिक युग में महिला विवाह आयु :

वैदिक युग में कन्याओं का विवाह प्रौढ़ावस्था में होता था। ऋग्वेद में विवाह आयु के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त है। अवेस्ता से पता चलता है कि ईरान में प्रायः कन्याओं का विवाह 15–16 वर्ष की आयु में होता था। वैदिक युग में भी कन्याओं के विवाह आयु भी यही रही होगी। विवाह के लिए 'उद् वाह' शब्द कन्या का विवाह यौवन अवस्था में होनासिद्ध करता है। कन्या पति के गृह में जाकर पत्नी के रूप में रहती है। विवाह के मंत्रों से पता चलता है कि विवाहित स्त्रियाँ शिशु या किशोरी नहीं, प्रत्युत प्रौढ़ थी।[12] वैदिक काल में बाल विवाह सिद्ध करने के लिए यह प्रमाण दिया जाता है कि वर एवं वधू के लिए ऋग्वेद में अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है।[13] अर्थ शब्द का अर्थ बाल्यावस्था से नहीं कोमलता से लिया जाना चाहिए।

शुंगकालीन भारत में महिला विवाह आयु :

शुंगकालीन युग में कुमारी और किशोरी तक की आयु की लड़कियां ही कन्या कहलाती थी। पति के चयन में कन्या की सहमति ली जाती थी।[14] कन्या के लिए उत्कृष्ट अभिरूप और सदृश वर खोजना माता–पिता का कर्त्तव्य माना जाता था।[15] बड़ी उम्र में विवाह की प्रथा वैदिक काल में प्रचलित थी। किन्तु मौर्य काल तक विवाह आयु की सीमा अत्यन्त कम हो गयी। 12 वर्ष की कन्या तथा 16 वर्ष का पुरुष विवाह के योग्य हो जाते थे।[16] शुंगकाल में कन्या की आयु 8 वर्ष तक हो गयी थी। कुमारी के लिए ऋतुकाल प्रारम्भ होने से तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करने का विधान था। उसके बाद कन्या अपने योग्य वर का वरण कर सकती थी। इसमें उसको कोई पाप नहीं लगता था।[17] सम्भवतः इस धारणा के उदय होने के दो कारण थे। पहला कारण यह था कि अनेक कन्याएं बौद्ध जैन धर्म में प्रतिष्ठ तो हो जाती थी, किन्तु वे ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने में असमर्थ रहती थी। उससे समाज में उनकी बहुत निंदा होती थी।

महिला विवाह आयु के सामाजिक प्रभाव :

हिन्दू समाज में महिलाओं को ज्ञान, शक्ति और सम्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। इनके रूप में सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी की पूजा की जाती है। स्त्री को समाज ने पुरुष का आधा हिस्सा माना है। जिस राष्ट्र में स्त्रियों यथोचित सम्मान

मिलता होगा, वह राष्ट्र एक आर्दश राष्ट्र होगा। प्रारम्भ में हिन्दू समाज में जहाँ स्त्रियों को काफी सम्मान एवं अधिकार प्राप्त थे। वे उत्तर वैदिक काल तथा वैदिक काल के बाद समाज की मौलिक व्यवस्थाओं द्वारा रूढ़ियों का रूप ग्रहण कर लिया पुरुष वर्ग महिलाओं के अधिकार को छीनता गया, उनका शोषण करता गया। जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई।

मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा सबसे ज्यादा खराब थी। परन्तु समय परिवर्तन के साथ–साथ, हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में नवीन अधिकार प्राप्त होते गये तथा अनेक क्षेत्रों में महिलायें पुरुषों से भी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में आज सफल रही है।

वैदिक काल में भारतीय समाज में नारी को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीतिक और सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त थे। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि नारी के बिना पुरुष का जीवन सम्भव नहीं था। ऋग्वेद के अनुसार नारी ही घर है। अथर्ववेद[18] में कहा गया है कि ''नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर, व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हैं।'' यजुर्वेद[19] से स्पष्ट होता है कि नारी को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार करने के अधिकार प्राप्त थे। इस काल में शिक्षा एवं साहित्य के अध्ययन करने की पुरुषों के समान स्वतन्त्रता थी। स्त्री अपने पति को दूसरा जन्म देती है, ऐसा उल्लेखन 'ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है।

प्रभु[20] के अनुसार– ''जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्री पुरुष में कोई विशेष भेद नहीं था और इस युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।'' इस काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, आदि कुरीतीयाँ थी। स्त्रियों के सामाजिक सम्बन्ध बनाने एवं स्वच्छन्दतापूर्वक विचारण करने पर कोई रोक नहीं थी। इस युग में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन जान पड़ता है। विधवाओं के अपने देवर या अन्य व्यक्तियों के साथ विवाह करने पर कोई पाबन्दी न थी। नियोग के द्वारा सन्तानोंत्पत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की छूट थी। धर्मशास्त्र युग की स्त्रियाँ सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्ण विचार धारा की शिकार बनी। वैदिक काल की गृहलक्ष्मी माता एवं शक्ति प्रदायनी देवी अब याचिका, सेविका व निर्बल प्रतीत होने लगी। मनुस्मृति[21] में तो स्त्रियों के अधिकारों को छीनते हुए यहाँ तक लिखा है कि ''स्त्री कभी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है। बचपन में वह पिता के अधिकार में युवावस्था में पति के वश में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियन्त्रण में रहे।''

इस युग में स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया साथ ही यह कहा गया कि विवाह का विधान ही स्त्रियों का उपनयन है। पति की सेवा ही गुरूकुल का वास है और घर का काम ही अग्नि की सेवा है।[22]

निष्कर्ष :

अन्य विकासशील देशों की भाँति भारत में बाल विवाह के प्रचलन के कारण स्त्रियों की विवाह के समय आयु बहुत कम होती है। विवाह की आयु कम होने के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कारण हैं। हिन्दुओं में बाल विवाह का कारण इनकी धार्मिक मान्यता है। हिन्दुओं का विश्वास है कि लड़कियों की शादी प्रथम रजोदर्शन के बाद हो जानी चाहिए। अन्य जातियों पर भी उसकी छाप देखी जाती है। कारण कि हिन्दुओं में धर्म परिवर्तन बड़ा सरल काम है। इसी प्रकार हिन्दुओं में गौना प्रथा का प्रचलन बड़ी अधिकता से पाया जाता है। विवाह तो छोटी उम्र में कर दिया जाता है किन्तु लड़की अपने पिता के घर उस समय तक रहती है। जब तक वह वयस्क होकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने लायक न हो जाय। यह प्रथा शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों में पाई जाती है। वैसे यदि विवाह की आयु को ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि प्राचीन भारत में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी।

वैदिक काल में स्त्रियों के विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गयी थी। चाणक्य ही पहले व्यक्ति थे जिनके मतानुसार स्त्रियों का विवाह सातवें मासिक धर्म से पूर्व ही हो जाना चाहिए। ऐसा मानते थे। इसी प्रकार के मतों का प्रसार–प्रचार समय–समय, पर होता रहा और अन्त में एक समय आया जब इस बात पर जोर दिया जाने लगे कि लड़कियों की शादी उनके मासिक धर्म होने से पहले ही हो जानी चाहिए। इस प्रकार बाल–विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ। भारत में न तो विवाह का और न ही गौने का पंजीयन होता है और न ही इसे जनगणना के अन्तर्गत एकत्रित किया जाता है। अतः जनगणना में जो आयु, लिंग एवं धर्म के अनुसार वैवाहिक स्तर से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन होता है, उसका उपयोग कर विवाह की आयु सम्बन्धी सूचनाओं को तैयार किया जाता है।

वैसे तो भारत में विवाह की आयु तथा प्रभावी विवाह की आयु में अन्तर पाया जाता है और यह अन्तर युवा विवाह के समय भी पाया जाता है क्योंकि भारत में 'गौना' रखने या विवाह के कुछ दिनों बाद विदा करने की प्रथा प्रायः सभी समाज में पायी जाती है। गौना या विदाई के बाद ही प्रभावी विवाहित जीवन शुरू होता है, भारत में प्रभावी विवाह आयु के

VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

समय का आंकलन नहीं हो पाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ई.ए., वेस्टर मार्क, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वाल्यूम–1, पृ0 26
2. के.एम. कपाड़िया (1955), मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, पृ0 168
3. मनुस्मृति, 9/96
4. के.एम. कपाड़िया, उपरोक्त, पृ0 168
5. के.एम. कपाड़िया, उपरोक्त, पृ0 201
6. ऋग्वेद, 10/85/36,/5/3/2, 5/28/3, 3/53/4
7. शतपथ ब्राह्मण, 5/2/1/10
8. ऐतरेय ब्राह्मण, 33/1
9. मनुस्मृति, 9/94
10. अर्थशास्त्र, 3.3
11. जायसवाल, काशीप्रसाद, मनुएण्ड याज्ञवल्क्य, पृ0 325
12. ऋग्वेद, 10/85/26–27, 46
13. ऋग्वेद, 1/51/13, 1/116/1
14. महाभाष्य, 3,2,46
15. मनुस्मृति, 9,88, महाभाष्य, 1,4,421, पृ0 72
16. अर्थशास्त्र, 3,3
17. मनुस्मृति, 9,90–91
18. अथर्व वेद, 14/14
19. युजुर्वेद, 8/1
20. पी.एन. प्रभु, 1958, हिन्दू समाज का संगठन, पृ0 258
21. मनुस्मृति, 5/148
22. मनुस्मृति, 2/67

डॉ. योगेन्द्र तिवारी
प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, मां भवानी पी. जी. कालेज, चन्दौली (उ.प्र.)।